



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत लोकतंत्र की जननी: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

राजकुमार पटेल शोधार्थी राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

शोध सारांश

भारत दुनिया की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है जो लगभग मध्यकाल तक संपूर्ण विश्व का केंद्रबिंदु रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों में दृढ़तापूर्वक कहा कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि वह लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र के संदर्भ में विशेषज्ञों की यह मान्यता है कि यह पश्चिमी अवधारणा है जिसका प्रादुर्भाव यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलकर पूरे विश्व में प्रसार हुआ। मान्यता अनुसार शुरुआत यूनान के एथेंस नगर में 507 ईसा पूर्व से मानी जाती है। परंतु जब हम अपने वैभवशाली इतिहास के पन्ने पलटते हैं तब हम पाते हैं कि भारत में मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विदेशी आक्रमण के कारण भारत की प्राचीन ज्ञानमीमांसीय परंपरा में अंतराल आ गया था जिसके कारण भारतीय ज्ञान परम्परा से अलगाव हो गया था जिसका प्रभाव देश में यूरोपीय मान्यताओं ने उस प्राचीन धरोहर की ओर गहनता से अध्ययन करने से वंचित कर दिया। अतः लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत की उस विरासत का अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है। जिसमें वेद, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, बौद्ध साहित्य एवं जैन धर्म के ग्रंथों के साथ उन प्राचीन भारतीय साहित्यों में भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था तथा लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है।

की बर्दः— लोकतंत्र, गणराज्य, संघ, राजतंत्र, राजा, राजनीतिक व्यवस्था, समिति, सभा, साहित्य

प्रस्तावना

लोकतंत्र आधुनिक दुनिया की सबसे प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। दुनिया में अधिकतर देशों में लोकतंत्र विद्यमान है जो वर्तमान की सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था है जैसा कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के संदर्भ में कहा कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए एवं लोगों द्वारा शासित होता है। जहां राजनीतिक भागेदारी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं विधि के शासन की व्यवस्था होती है। पश्चिमी विचारको ने संपूर्ण विश्व में यह धारणा फैलाई की लोकतंत्र यूरोप में विकसित हुआ एवं नागरिक अधिकार वही से उत्पन्न हुए हैं। जिसकी शुरुआत वो 1215 के घोषणा पत्र को महान अधिकार पत्र की संज्ञा देते हैं। ठीक उसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई जिसने सत्ता की बागडोर राजा से लेकर संसद यानि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासित होना माना जाता है। वहां से लेकर आज तक पूरे राजनीतिक विकास में स्वयम् को अग्रणी मानते हैं। स्वतंत्रता के बाद विश्व पटल पर यह बात गयी की भारत में लोकतंत्र औपनिवेशिक शासन के दौरान उसे ब्रिटेन से सीखा एवं ग्रहण किया हुआ है।

भारत का इतिहास अत्यंत समृद्ध है हड़प्पा सभ्यता जो संपूर्ण विश्व की पहली नगरीय और अत्यंत समृद्ध सभ्यता थी जिसकी बसावट आधुनिक तरीके से की गई थी हालांकि उस समय के साहित्य तो नहीं है लेकिन उत्खनन के साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि शासन का स्वरूप सामूहिक सहभागिता पर आधारित था। वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, श्रुति, स्मृति, संहिता, महाभारत, पुराण एवं रामायण तत्कालीन समय की शासन व्यवस्था का परिलक्षण देते हैं उन ग्रंथों में जन, प्रजा, गण, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, विधत, परिषद्, संघ और निकाय जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो वर्तमान लोकतंत्र में प्रयोग किये जाते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व मौजूद था लेकिन उसका स्वरूप एवं आकार उस समय एवं परिस्थिति के हिसाब से भिन्न था न कि वर्तमान स्वरूप की तरह था। डॉ. वीपी वर्मा के अनुसार प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक संस्थाओं के संदर्भ में उन विद्वानों को आश्चर्य होता है जो निरंकुश श्रमतंत्रात्मक और स्वेच्छाचारी शासन को एशिया में

सरकार का एकमात्र रूप मानते हैं। वही डॉ. जायसवाल के अनुसार गण शब्द का मुख्य अर्थ है 'समूह' इसकारण गणराज्य का अर्थ एक ऐसे राज्य से है जो समूह के द्वारा या बहुत से लोगों द्वारा संचालित किया जाता था।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्मित किया जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराओं एवं संस्कृति के साथ-साथ आधुनिकता का सामांजस्य दिखता है जिस कारण आज भी सबसे समृद्ध लोकतंत्र में गिना जाता है। लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया था कि भारत के लिए लोकतंत्र एक भावना है जो विश्वास पर आधारित है और हर मनुष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वही भारत द्वारा जी 20 की अध्यक्षता की गई जिसका थीम 'वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य' अर्थात् भारत उसी विचार को संपूर्ण विश्व में प्रेषित कर रहा है जिससे पूरे विश्व को हिंसा एवं युद्ध से निकालकर शांति एवं समृद्धि के मार्ग पर दुनिया प्रसस्त हो।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में व्याप्त बहुल धार्मिकता, बहुभाषायी एवं बहुसांस्कृतिक विविधता को देखकर पश्चिमी विचारकों का मानना था कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि यह विविधता सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में अवरोध का कारण बनेगा। उनका अनुमान भारत को छोड़कर लगभग सभी स्वतंत्र देशों के अनुभव से सही भी प्रतीत होता है। उसकी प्रमुख वजह भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादिकाल से विद्यमान रहा है। भारतीय समाज में अंतरविरोधों से सामंजस्य हमेशा बनाकर रखा है।

भारतीय प्राचीन इतिहास में लोकतंत्र के प्रमाण

वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि ग्रंथों में जन, प्रजा, गण, कुल, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, विधत, परिषद्, संघ और निकाय जैसे शब्दों का प्रयोग जो स्पष्टतः प्रमाण है जिनका आज भी लोकतंत्र में लगभग प्रयोग किया जा रहा है।

वैदिक कालीन साहित्य

भारत में प्रजातांत्रिक शासन के मत के संदर्भ में ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में लिखी हुई स्तुति, महाभारत के मत तथा मेगास्थनीज की सुनी हुई तत्कालीन बातें जो आरम्भिक वैदिक युग से शुरुआत माना जा सकता है एवं परवर्ती वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय में मिलते हैं। प्रो. रहीम डेविड्स ने अपने बुद्धिस्ट इण्डिया में उल्लेख किया है कि शासन का प्रजातांत्रिक स्वरूप बुद्ध देश के आस-पास माना जा सकता है जिसके लिए गण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गण अर्थात् समूह का शासन होना। इसी गण से प्रजातंत्र का अभिप्राय लिया जाता है और आगे चलकर व्यापक पैमाने पर संघ का प्रयोग हुआ विशेषकर बौद्धकालीन ग्रंथों व्यापक वर्णन है। बौद्धों के ग्रंथ महावग्ग में गण का आशय समूहों का शासन के रूप में उल्लेख है। हालांकि विदेशी इतिहासकार ने गण शब्द का गलत अर्थ अनुवाद किया जैसे मॉनिवर विलियम्स ने इस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद ट्राइब पद्धति किया जिसका अर्थ उपजाति के रूप में लिया गया ऐसा ही अनुवाद डॉ. फ्लीट ने किया तो उन्होंने भी मालव गण के संदर्भ में उन्होंने ट्राइब ही उपयोग किया जिससे प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक संरचना का पता नहीं चल पाया इसे बहुत बाद में केपी जायसवाल ने सही एवं वास्तविक अर्थ बताया। जायसवाल ने अपनी किताब 'हिंदू पालिटी' में भारत के गणराज्य एवं संघ विषय पर एक नया आयाम दिया उनके अनुसार वैदिक काल में एक स्वस्थ गणतंत्रीय व्यवस्था थी।

अधिकांश भारतीय विद्वान इस बात से सहमत हैं कि भारत में सर्वप्रथम गणतंत्र का उदय हुआ जो बाद में राजतंत्र के रूप में विकृत हो गया हालांकि इसको लेकर भ्रम की स्थिति निम्न कारणों के कारण बनी पहला प्राचीन भारतीय साहित्य जनतंत्रात्मक व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में राजा पद का प्रयोग किया गया जो प्रायः राजतंत्र में पाया जाता है। दूसरा वैदिक साहित्य में राजा की स्तुति करते समय उसे देवता के समान माना गया था जिसका मन्तव्य राजतंत्र के रूप में माना गया जबकि साहित्यों की गहराई से यदि पढ़े तो उसका आशय उसकी पवित्रता एवं नैतिकता से था। तीसरा प्राचीन भारतीय शासक के पद को प्रायः वंश-परम्परागत बनाने में रुचि लिया गया था। चौथा विषय को समझने के लिए प्राप्त सामग्री अत्यंत अल्प मात्रा में है। वैदिक काल से लेकर 5वीं ईस्वी शताब्दी तक भारत में जनतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी और वेदों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक काल में आर्थिक एवं क्षेत्रीय संस्थाएं राजा का निर्वाचन करती थी।

मझिमनिकाय में संघ एवं गण शब्द साथ-साथ प्रयोग किया गया है बुद्ध के समय का श्लोक—

ठमेषम पिहि भो गौतम संघानम्, गणानम् संयथिदम् वज्जिनम् मल्लानम्।

अनुवाद— हे गौतम यह बात संघों और गणों के संबंध में है जैसे वज्जि और मल्ल।

गण शब्द से शासन—प्रणाली का बोध होता था, परंतु संघ शब्द से स्वयं राज्य का अर्थ लिया जाता था।

समिति:— वैदिक साहित्य में दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत पहली जिसमें राजा का निर्वाचन किया जाता था। राजा का निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा होता था समिति सार्वजनिक कार्यों को कार्यान्वित करने वाली प्रमुख संस्था होती थी। समिति में जन सामान्य का प्रतिनिधित्व था। यहां निर्णय पारस्परिक सहमति से लिए जाते थे। ऋग्वेद में समिति शब्द का प्रयोग 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी इसके अंतर्गत वाद—विवाद या सवाल—जवाब जिसका आधार ज्ञानमीमांसीय एवं तार्किक स्वरूप का था जिसमें राजनीति के साथ-साथ अन्य विषयों पर विमर्श किया जाता था। समिति का मुख्य संघटक आधार ग्राम ही होता था और इसका जीवनकाल दीर्घ होता था। इसे प्रजापति की कन्या कहा जाता था। जिसके समक्ष राजा को उपस्थित होना आवश्यक था जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि '**राजा न सत्यः समितीरियानः**' अर्थात् उसे समिति से समक्ष उपस्थित न होने पर उसे सच्चा राजा नहीं माना जाता था। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार समिति वैदिककाल के अंतिम समय जब साम्राज्यों का उदय हुआ तो इसका अंत हो गया था और यह परिषद् के नाम से जानी जाने लगी थी।

राजसत्ता पर समिति का नियंत्रण रहता था विशेषकर केन्द्रीय प्रशासन एवं सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर। राजा व समिति के बीच निकट का संबंध था। राज्याभिषेक, युद्ध अथवा राष्ट्रीय संकट जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर इसका अधिवेशन अवश्य बुलाया जाता था। राजा समिति के अधिवेशनों में उपस्थित रहता था। विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रचलन न होने के कारण समिति व्यवस्था केवल छोटे-छोटे राज्यों में ही कार्य कर सकती थी।

सभा:— सभा का शाब्दिक अर्थ चमकना है। दीक्षितार का मनना है कि अनुभवी लोग विशेषकर अभिजात व धनी (सुजात या कुलीन) वर्ग का प्रतिनिधित्व इस संस्था में था। बौद्धजातक के अनुसार वह सभा सभा नहीं, जहाँ संत लोग न हो और वे संत संत नहीं जो धर्म का भाषण न करते हों। इसका ऋग्वेद में 8 बार और अथर्ववेद में 17 बार प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में विदथ शब्द का 122 बार और अथर्ववेद में 220 बार प्रयोग हुआ है यह उस समय की प्रमुख संस्था जहां धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक व सैन्य उद्देश्यों हेतु कार्यान्वित होती थी। यह राष्ट्रीय न्यायालय का काम करती थी। पारस्कर गृहसूत्र में सभा को 'आपत्ति' और 'घोरता' कहा है जो अपराधियों के लिए होती थी, वहीं शुक्ल यजुर्वेद के पुरुषमेघ में इसे न्याय का आखेट कहा गया है। घोषाल ने सभा में दो प्रकार के सदस्य बताये हैं प्रथम सभासद् सभा की उच्च श्रेणी के सदस्य जो शाही परिषद् या न्यायालय के सदस्य भी बन जाते थे एवं अन्य सदस्य केवल सभा के सदस्य ही रहते थे। वहीं अल्तेकर के अनुसार वैदिक साहित्य में तीन प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है विदथ, सभा व समिति। वहीं लुडविंग का मानना है कि सभा में पुरोहित या धनिक जैसे उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे जबकि समिति में केवल साधारण लोग ही रहते थे।

विदथ:— इस शब्द का अर्थ विद्वानों की सभा माना गया है इसका संबंध धार्मिक कार्यों के साथ-साथ नागरिक एवं सैनिक कार्यों से था। इसे सभा व समिति की जनक संस्था माना जाता है। आर.एस.शर्मा ने सभा एवं समिति का पूर्वगामी माना है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा एवं समिति से भी ज्यादा विदथ शब्द का प्रयोग किया गया है। विदथ के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों के मध्य मतैक्य नहीं है यहां तक कि इसका अलग-अलग अर्थ भी बताते हैं। वही राय ने विदथ के तीन अर्थ का वर्णन किया है आदेश, आदेश जारी करने वाला निकाय एवं वह सभा जो लौकिक या धार्मिक अथवा युद्ध के उद्देश्यों के लिए बनी थी। साहित्यों में विदथ सभा के संदर्भ में अस्पष्टता है लेकिन फिर भी विद्वान इसे बहुत प्रभावशाली संस्था के रूप में उल्लेख करते हैं।

वैदिक काल में भी राजा का पद होता था लेकिन राजा के कार्यों पर विभिन्न अंगों की अनुमति की आवश्यकता होती थी जिसमें प्रमुख रूप से सभा, समिति, मंत्रिपरिषद् की सहमति के साथ प्रजा के कल्याण की भावना, धार्मिकता एवं नैतिकता का दबाव हमेशा रहता था राजा स्वविवेक से या स्वच्छंद होकर कार्य नहीं कर सकता था। राजा के कार्यकाल भी सीमित समय के लिए होता था।

महाभारत काल में सैकड़ों राज्य और उनके राजा थे जिसमें कुछ बड़े तथा कुछ छोटे राज्य होते थे। वह राज्य जो वेदों, शास्त्रों महर्षियों जैसे विद्वानजन संतों के उपदेशों व सुझायी नीतियों के परामर्श से चलता था उस राज्य को गणतंत्र राज्य

माना जाता था। शांतिपर्व के 107–108 अध्याय में गणतंत्र की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। 'गण' शब्द का प्रयोग राजनीतिक रूप में प्रयोग हुआ जहां गणतंत्र सिर्फ शासन संस्थाएं न होकर संपूर्ण राज्य की शासन संचालन का माध्यम था। राजा को प्रजा के हित की रक्षा एवं धर्म का अनुसरण करना चाहिए उसे सभासदों, प्रबुद्धजनों एवं प्रजाजनों के प्रति उत्तरदायी अवश्य होना चाहिए। जिससे स्पष्ट है कि राजा को सीमित अधिकार थे एवं उस पर हमेशा उस समय की संस्थाओं का दबाव हमेशा होता था जैसा हम वर्तमान लोकतंत्र में दिखाई देता है।

महाभारत कालीन साहित्य में वैराज्य, पारमेष्ठ्य राज्य, गणराज्य एवं संघराज्य इत्यादि चार प्रकार के जनतंत्रीय शासनों का उल्लेख है वैराज्य उस राज्य के लिए प्रयोग जिसमें जनतावर्ग के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया था। भीष्म पर्व में मंग, मशक, मानस और मदंग जनपदों का उल्लेख है। डॉ. श्यामलाल पाण्डेय ने माना है कि महाभारत काल में भारत के उत्तर और पश्चिम में बहुत से गणराज्य थे जिनका उल्लेख महाभारत के सभापर्व और वनपर्व में किया गया है इसमें किसी राजा का उल्लेख नहीं है अर्थात् ये गणराज्य रहे होंगे। गणराज्यों का चौथा रूप संघ महाभारत में अंधक-वृष्णि नामक प्रसिद्ध संघ का वर्णन मिलता है। पारमेष्ठ्य राज्य वह राज्य था जिसमें मताधिकार प्रत्येक गृहपति को दिया जाता था जो शासनकार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता था। वही कुलीन गणराज्य उसे कहते थे जिसमें मताधिकार केवल कुलपतियों को प्राप्त होता था। संघ शब्द का प्रयोग ऐसे राज्यों के लिए किया जाता था जिसमें एक से अधिक गणराज्य मिलकर शासन संचालित करते थे विशेषकर सुरक्षा की दृष्टि से।

पाणिनि के साहित्यः— पाणिनि का समयकाल 500 ईसा पूर्व माना जा सकता है वे अपने व्याकरण में संघ शब्द का व्यावहारिक प्रयोग प्रजातंत्र के रूप किया है एवं जिन स्थानों पर गणतंत्र का विस्तार देश भर में था पाणिनि ने उसका भी वर्णन किया था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक प्रजातंत्र का वर्णन किया था शायद उनको धार्मिक प्रजातंत्र से अवगत नहीं थे। डी.आर. भण्डारकर के अनुसार पाणिनि ने गण एवं संघ शब्द का प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य हेतु संगठित व्यक्तियों के समूह अथवा किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए संगठित व्यक्तियों की संस्था के अर्थ में किया है। वहीं मजूमदार के अनुसार पाणिनि ने गण शब्द का अर्थ जनतंत्रीय शासन ही माना है। उसी के बाद कात्यायन जो लगभग 400 ईसा पूर्व का था उसने भी संघ का पारिभाषिक अर्थ वही ग्रहण किया जो पाणिनि के समय प्रचलित था। इसी अर्थ को कौटिल्य ने भी अपने साहित्य में प्रयोग किया और संघ का अर्थ बहुत से लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई शासन व्यवस्था से जोड़ा है। पाणिनि ने 6 आयुधजीवी संघ बताये हैं जिसे कौटिल्य ने आयुधजीवी शब्द की जगह शस्त्रोपजीवी संघ कहा है ये हैं – कौंडोपरथ, दांडकी, कौष्टकी, जालमानि, ब्राह्मगुप्त एवं जानकी। इसके अलावा भी 6 और समाजों के नाम का उल्लेख किया है जहां प्रजातांत्रिक शासन था लेकिन इनके लिए संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ये हैं— मद्र, वृज्जि, राजन्य, अंधकवृष्णी, महाराज और भर्ग राज्य थे। पाणिनि के अनुसार कुछ चुने हुए या नियुक्ति किये शासक राजा की उपाधि धारण किया करते थे। जिन प्रजातंत्रों में चुना हुआ राजा नहीं होता था उनके सिक्के उनके गण के नाम से अंकित होते थे उदाहरण स्वरूप अर्जुनायनों के गण की जय हो, मालवगण की जय हो।

जैन बौद्ध और मौर्यकाल

बौद्ध एवं जैन धर्म की उत्पत्ति उन स्थानों से मानी जाती है जो संघ के अंतर्गत गणराज्य हुआ करते थे उनके आस-पड़ोस में संघ ही थे और वे उन्हीं व्यवस्था के अंतर्गत पले बढ़े थे। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना उन्होंने राजनीतिक संघ का धार्मिक क्षेत्र में उपयोग किया साथ ही उन्होंने वहीं संरचना प्रणाली भी अपनाया था जैसा जायसवाल और भण्डारकर जैसे विद्वान इस मत से सहमत थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी प्रणाली के लिए बौद्धधर्म के पास अनुभव नहीं था। उनके समय में जहां पूर्व में कौशल से कौशाम्बी के राज्यों तक तथा पश्चिम में अंग राज्य तक गणराज्य फैले हुये थे। बौद्ध कालीन समय की शासन और न्याय व्यवस्था सार्वजनिक सभाओं में हुआ करती थी जिसमें छोटे बड़े सब प्रकार के लोग उपस्थित हुआ करते थे प्रायः इन सभाओं का अधिवेशन सार्वजनिक भवन में हुआ करता था। जातक कथाओं में लिच्छवी शासकों को गणशासक अर्थात् प्रजातंत्री शासक कहा गया है। इस समय के गणराजाओं का भी राज्याभिषेक हुआ करता था।

भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व पाँचवीं एवं छठी शताब्दी से समय गणतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शासन के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा है वैसाली संघ जो उस समय का सबसे बड़ा संघ था जिसके अंतर्गत कई गणराज्य थे इसी में बज्जि संघ भी था जिसमें महावीर का जन्म हुआ था वैसाली राज्य में सभी लोग समान समझे जाते थे उन्हें बोलने एवं मत देने का समान रूप से अधिकार प्राप्त था। वहीं लिच्छवियों में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रमुख विषय होता था जब तक राजा, उपराजा तथा सेनापति तीनों अलग-अलग और एकमत होकर स्वीकृति नहीं देते थे, तब तक कोई नागरिक अपराधी नहीं ठहराया जाता था। बौद्ध संघों में किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए सदस्यों की उपस्थिति की न्यूनतम संख्या

निर्धारित थी अर्थात् गणपूर्ति आवश्यक थी। बहुमत की राय जानने के लिए मत-संग्रह शलाका का प्रयोग किया जाता था। शलाकाग्रहण तीन प्रकार की जानकारी होती है पहला गुप्तप्रकार का जिसे गूल्हकम्भ कहा जाता था दूसरा जप्पतम् जिसमें अधिकारी के कान में जाकर धीरे से बोला जाता था तीसरा विवतकम् जिसमें खुला प्रकार का मतदान।

वहीं बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था ये सभी 10 संघों का अंग थे जिसमें प्रमुख वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपिलवन के मोरिय, सुसुमारगिरि के भग्ग, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिय और अलारकलाम। बौद्ध ग्रंथों और अन्य लेखों आदि के अनुसार विदेहों और लिच्छवियों ने आपस में मिलकर एक संयुक्त लीग स्थापित की थी इन दोनों मिलकर संवज्जी कहलाते थे जिसका अर्थ है 'आपस में मिले हुए बज्जी लोग' इस संयुक्त काउंसिल में 18 सदस्य थे जिनमें से 9 लिच्छवी और 9 मल्ल की थी इस संयुक्त काउंसिल के सदस्य गणराजा कहे जाते थे। साथ ही यौधेयों की समिति में 5000 और लिच्छवियों की समिति में 7707 सदस्य थे। वही गणराज्य व्यवस्था के विषय में आचारांगसूत्र में जैन साधू और साध्वियों से यह कहा गया है कि वे ऐसे शासन में प्रवेश न करें क्योंकि उन्हें गुप्तचर होने के संदेह हो सकता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रजातंत्रः— कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में गणराज्यों की चर्चा किया है उसके अनुसार दो प्रकार के गणराज्य थे पहले वह जिन्हें 'वार्ताशस्त्रोपजीवी' कहा जाता था जहां के लोग युद्ध में पारंगत होते थे उस क्षेत्र के सिक्कों में संघों के अस्तित्व का पता चलता है। जिसमें प्रमुख राज्य कांभोज सुराष्ट्र, क्षत्रिय एवं श्रेणी थे। साथ ही व्यापार, पशुपालन भी करते थे। दूसरे 'राजशब्दोपजीवी' जो राजा की उपाधि धारण करते थे जिसमें राज्य लिच्छविक, वृज्जिक, मल्लक, मद्रक, पांचाल इत्यादि थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा के हित को सर्वप्रथम वरीयता देनी चाहिए साथ ही अमात्यों की सलाह अवश्य माननी चाहिए क्योंकि प्रजा हित ही सर्वप्रमुख हित है। कौटिल्य के समय व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में संघ हुआ करते थे ये संघ राजनीतिक थे ये पूर्णवर्णित आर्थिक संघों से भिन्न थे यहां राज्य से जीविका कमाने वाले लोगों को इंगित करता था यहां सामंती प्रणाली के साक्ष्य दिखायी देते हैं।

यूनानी एवं रोमन इतिहासकारों के स्रोतः— सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकारों ने तो ज्यादा समय नहीं बिताया एवं वो सिर्फ पश्चिमी भारत तक ही सीमित रह गये लेकिन उन्होंने भी माना की कई स्वाधीन स्वराजभोगी व स्वतंत्र बतलाया जिससे शायद उसका अभिप्राय प्रजातंत्रिक शासन से रहा होगा। एरियन ने जरूर दो नगर राज्यों का उल्लेख किया है जहां प्रजातंत्रिक शासन व्यवस्था थी लेकिन वह उनके नाम नहीं दिया था। हालांकि वे समाजों को ही राज्य माना क्योंकि शायद वे ज्यादा दिन तक रुके नहीं थे इसलिए शायद वे परिचित नहीं थे। मेगास्थनीज जरूर यहां रुक कर अपने इण्डिका नामक पुस्तक में उसने भी शासन को दो भागों में बाँटा था पहला एक राजत्व शासन प्रणाली दूसरा प्रजातंत्र शासन प्रणाली।

दक्षिण भारत में गणराज्य के साक्ष्यः— दक्षिण भारत में लोकतांत्रिक परंपरा के साक्ष्य हमें चोल साम्राज्य में दिखायी देते हैं परांतक चोल प्रथम के शासन-काल में कांचीपुरम के उत्तरमेरुर के शिलालेखों से गणतंत्रीय व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है जिसमें प्रतिनिधियों की योग्यता, उनके चयन एवं मतदान की प्रक्रिया, कार्यों का निर्धारण एवं विभाजन, निर्वाचित उम्मीदवारों को वापस बुलाने के नियमों का विधिवत उल्लेख किया गया है। अभी के कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, समाज-सुधारक एवं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर द्वारा अनुभव मंडप की स्थापना की गई थी, यह एक प्रकार का सार्वजनिक मंच था जहाँ समाज के लगभग सभी वर्गों के लोग आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र चर्चा कर आवश्यक निराकरण किया करते थे।

प्राचीन भारत की मतदान प्रणालीः— प्राचीन साहित्यों से ज्ञात होता है कि यहां विचार विमर्श या वाद-विवाद की परम्परा अत्यंत विकसित थी। महत्वपूर्ण निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे लेकिन कुछ विषयों पर आम सहमति न होने पर बहुमत का सहारा लिया जाता था जिसके लिए मतदान प्रणाली प्रचलित थी और बहुमत से लिए गए निर्णय को 'भूयिसिक्किम' कहा जाता था। प्राचीन काल में वोट को 'छन्द' कहा जाता था। निर्वाचन आयुक्त की भाँति इस चुनाव की देख-रेख करने वाला भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे शलाकाग्राहक कहते थे। मूलतः तीन प्रकार की पद्धति मौजूद थी चुनाव कराने के संदर्भ में। पहली— गूढ़क इसे गुप्त मतदान कहते थे जिसमें वोट देने वाले का नाम नहीं होता था। इसमें लिखकर दिया जाता था। दूसरा— विवृतक इसे खुला मतदान बोला जाता था इसमें व्यक्ति संबंधित विषयों पर अपनी खुली राय रखता था। तीसरा— संकर्णजल्पक इसके अंतर्गत व्यक्ति शलाकाग्राहक के कान में धीरे से बोलकर अपना मत देता था और शलाकाग्राहक पूरी ईमानदारी के साथ इनकी गणना करता था। यही लगभग थोड़े एवं हल्के परिवर्तन के साथ बौद्ध संघों में भी उल्लेख किया गया है जिसका वर्णन 'चुल्लबग्ग' में सक्य द्वारा उल्लेखित किया गया है। अतः निश्चित

रूप से कह सकते हैं कि भारत के प्राचीन भारत में एक उच्च मानक वाली लोकतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती थी जिसका पश्चिमी विचारको ने इसकी तरफ या तो ध्यान नहीं दिया या उसे नकार दिया।

शासन संचालन हेतु मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था:- मंत्रिमण्डल शासन संचालन हेतु महत्वपूर्ण होता है इसकी उपयोगिता प्राचीन भारत में पहले ही महसूस की जा चुकी थी। मंत्रिमण्डल में चुनाव हेतु योग्यता एवं उत्तम गुण आवश्यक होता था। मंत्रिमण्डल का उल्लेख हमें महाभारत, शुक्रनीति, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र में भी उल्लेख किया गया है। इसे यजुर्वेद और ब्रा ग्रंथों में इसे 'रत्नि' कहा गया है। जहां महाभारत में मंत्रिमण्डल की सदस्य संख्या 6 बतायी गयी वहीं मनु के अनुसार यह 7-8 निर्धारित की गई थी शुक्र ने इसके लिए 10 सदस्य निर्धारित किये थे।

गणराज्यों के पतन व उनके कारण

देवीदत्त शुक्ल के अनुसार द्वितीय शताब्दी ईसापूर्व से चतुर्थ शताब्दी ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में जनतंत्र राज्यों के अंतिम उत्थान का समय था। इसकाल में गणतंत्रों के इतिहास की निरन्तरता समाप्त हो गई थी। इनके अनुसार गणतंत्रों के पतन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों को उत्तरदायी माना है जिसमें प्रमुख रूप से पैतृक गुणों को महत्व देना, राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति में योग्यता की जगह स्वयं हित को वरीयता, प्रशासकीय अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद की जगह भूमि दी जाती थी जिसकारण सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ था, राजा द्वारा शक्ति का स्वयं में केंद्रीकरण करना एवं जातिगत भेदभाव का बढ़ना।

संदर्भ:-

- जयसवाल काशीप्रसाद 'हिन्दू राज्य-तंत्र' विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी 2016
- आजाद चन्द्रशेखर 'भारत में लोकतांत्रिक शासन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष- एक मूल्यांकन' वर्ष- चतुर्दश, अंक प्रथम, जनवरी-जून, 2022
- चाणक्य, अर्थशास्त्र, अभिकरण 2 अध्याय 1
- महाभारत, शांतिपर्व - अध्याय 107-108
- महाभारत, शांतिपर्व - 69/62-65
- शुक्ल देवीदत्त, 'प्राचीन भारत में जनतंत्र' हिंदी स्मृति पब्लिकेशन 1966
- त्रिपाठी प्रकाश मणि, दुबे सच्चिदानन्द चन्द्र धर 'प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था' राज पब्लिकेशन
- पाण्डेय राजबली, उपाध्याय विभा, 'भारत में जनतंत्र' लिटरेरी सर्किल पब्लिकेशन 2022
- नेमा जी.पी., शर्मा हरिश्चन्द्र 'प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ', कॉलेज बुक डिपो 2017
- कुमार उमेश, सिंह संजय कुमार प्राचीन एवं आधुनिक प्रशासनिक चिंतक 2000 नेशनल बुक आर्गनाइजेशन पब्लिशर्स डिस्ट्रिब्यूटर्स नई दिल्ली।
- नैन श्रपजमदकतं ष प्दकपंरु जीम डवजीमत व किमउवबतंबल पे जीम संदक व श्रिनेजपब जीम प्दकपंद रवनतदंस व च्वसपजपबंसैबपमदबम टवसनउम सग्ट छव 4ए व्वजवइमत.कमबमउइमत 2023 च्हम छव 617.622
- क्पौपजंत टण्ट त्तंबीदकतं ष्पदकन ।कउपदपेजतंजपअम प्देजपजनजपवदे स्पमिचंद च्चइसपौमते 2021